न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:— 115/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 पदमा पुत्र झूंथा
2 महेश } पुत्रगण नानगा
3 ईशरा }
4 प्रहलाद पुत्र भूरा
समस्त जाति मेहरा निवासीगण पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक:—23.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाटन के भूमि ख0नं0 359/1/3 रकबा 0.44 है0 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पि. नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा सा.पाटन के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वर्ष 2020 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नदी नाला तालाब जोहड़ा की राज्य सरकार के नाम से दर्ज थी। नियमन/आवंटन के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 359 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा में से पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पि. नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा सा.पाटन के नाम से रकबा 0.44 है0 का आंवटन नियमन होकर गैर खातेदारी/खातेदारी पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पि. नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा सा.पाटन के नाम से दर्ज है। यह भूमि गलत रूप से आवंटन/नियमन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 1978 को गलत रूप से नियमों के विपरीत आवंटन/नियमन किया गया था। उपरोक्त भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है, जिसका आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त भूमि नियमन आवंटन के पश्चात आवंटी की विरासत में या विक्रय के पश्चात् चालू जमाबन्दी में पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पि. नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा सा.पाटन के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः उपरोक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज खातेदारी में से हटाकर राज्य सरकार के पक्ष में वापिस दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री प्रतापसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 284 मुताबिक उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 359 राजस्थान सरकार किस्म गै.मु.नाला के स्थान पर पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पुत्र नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा गैर खातेदार के नाम तस्दीक किया हुआ है। नामांतकरण संख्या 508 के द्वारा पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पुत्र नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा कोम मेहरा सा.देह ... किया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत

Web Copy - Not Official

ईशरा पुत्र नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामान्तकरण संख्या 284 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी गैर मुमकीन नला दर्ज है तथा अप्रार्थी के नाम से दर्ज है, जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पाटन तहसील नीमकाथाना की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा में से 0.44 है0 की अप्रार्थी पदमा पुत्र झूंथा महेश ईशरा पुत्र नानगा प्रहलाद पुत्र भूरा जाति मेहरा सा.देह को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official